संलग्नक-3

आदेश

अधि. अभि. लोक निर्माण विभाग (नि.ख.) नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या 2294/18एम. जी./ दिनांक 03.11.2022 के द्वारा अवगत कराया है, कि जनौली–सकदीना– सतौली–कफूड़ा मोटर मार्ग हेतु ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड़ के तहसील धारी के एन.ज्यड.ए. खाता सं. 30 के खसरा न. 1799 व 2174/3497 मध्ये रकवा 9.231 हे. भूमि गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) (ड़.) का प्रस्ताव क्षतिपूरक बृक्षारोपण हेतु चयनित कर उपलब्ध कराया गया था, जिसका वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05.10.2016 को किया गया था। उक्त भूमि क्षतिपूरक बृक्षारोपण के लिए उपर्युक्त पायी गयी थी, जिसका डिजीटल मैप तैयार करते हुए वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। सयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जनौली–सकदीना–सतौली–कफूड़ा मोटर मार्ग हेतु वर्ष 2019 में हस्तानान्तरण आदेश हो चुका है परन्तु सतौली–कफुड़ा माटर मार्ग हेतु 5.976 हे. भूमि का हस्तानानतरण आदेश नहीं हो पाया। उक्त भूमि एस.सी.एस.पी. के अर्न्तगत सतौली से कफुड़ा तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 हे. वन भूमि हस्तानानतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालय पूर्व आदेश दिनांक 21.02.2019 के द्वारा जिनौली–तड़ी–सकदीना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड़, तहसील धारी के एन.ज्यड.ए. खाता सं. 30 के खसरा न. 1799 व 2174/3497 मध्ये रकवा 3.255 हे. भूमि गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) (ड़.) को क्षतिपूरक बृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तानान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अतः राजस्व विभाग/वन विभाग की संयुक्त जॉच आख्या एवं **शासनादेश संख्या 2096** XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 व शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50(39)-2015 दिनांक 09.07.2015 व राजस्व विभाग के शासनदेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18 (120)दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 व शासनादेश संख्या 1887/ XVIII(II)/2015 दिनांक 30.07.2015 व **राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2096** XVIII(II)/2012-18 (120) दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के क्रम में ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड़ के तहसील धारी के एन.ज्यड.ए. खाता सं. 30 के खसरा न. 1799 व 2174/3497 मध्ये सतौली–कफुड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 हे. भूमि एवज में क्षतिपूरक बृक्षारोपड़ हेतु दूगनी भूमि एन.ज्यड.ए. के खाता सं. 30 के खसरा न. 1799 व 2174/3497 मध्ये कुल रकवा 5.976 हे. भूमि गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) (ड़.) में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, को वन विभाग के नाम निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार धारी तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति याचक विभाग वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1– भूमि पर कोई धार्मिक महत्व की ईमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन

Scanned by CamScanner

संलग्नक-4

गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि अथवा भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9– प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10– इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी0) संख्या 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम् पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

RN 3857/IC 25/11/22

AEE II / अमीन

EE

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 2857 /12–ज्येड0ए0सी0/2021–22 दिनांक 19 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

2– उपजिलाधिकारी, धारी।

3– तहसीलदार, धारी।

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

30 9(3) ड० अन्य छोड़ी योग्य बंजर भूमि — बंजर

22	0.015
24	0.003
27	0.010
32	0.030
41	0.008
44	0.029
57	0.554
59	0.983
85	0.424
87	0.798
106	0.031
107	0.069
114म	0.044
115म	4.229
121	0.049
169	0.056
177	0.013
239	0.051
244	0.093
254	0.015
274	0.276
286	0.038

आदेश-
कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 1762/12-7 ज्येड० सं० सी०/2019 दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुसार शासनादेश संख्या 111/xxviii(7) 50(39)2015/2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश सं० 1887/xviii(1) 50(34)/2015 दिनांक 30/7/15 एवं उपजिलाधिकारी धारी के पत्र संख्या 226/अहलमद-संख्या/2019 दिनांक 07 फरवरी 2019 के क्रम में धिनौली-तड़ी-सकदीना तक मोटर मार्ग हेतु ग्राम पुटगांव पट्टी-चुरीगाड के नॉन ज्येड० सं० खाता नं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3457 मध्ये रकबा 3.255 है० गैर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3) ड० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किया जाता है। क० र० का० दिनांक 24/04/19

(22)

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
	वेजा		288	0.205			
			290	0.044			
			318	0.036			
			321	0.008			
			323	0.014			
			332	0.079			
			370	0.038			
			384	0.039			
			422	0.055			
			425	0.024			
			441	0.046			
			467	0.337			
			480	0.825			
			481	0.395			
			496	0.020			
			522	0.742			
			523	0.018 /			
			529मि	0.214			
			537	0.016			
			544मि	0.100			
			564	0.031			
	(55)		592	0.018			

1	2	3	4	5	6	7	8
	आदेश : श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 2057/12 [illegible] 11 दिनांक 11 जनवरी 2022 एवं शासनादेश संख्या 2496 XVIII(II) 2012-18 (120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या 111/XXVII(7) 50 (39)-2015 दिनांक 07-7-2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 2015 दि० 30-7-2015 व शासनादेश [illegible] के शासनादेश संख्या 2496XVIII(II)2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में ग्राम हरतोला पट्टी [illegible] तहसील धारी के एन०एच० एवं खाता सं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3497 मध्ये सतोली-कफड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.988 हे० भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि एन०एच० एच० के खाता सं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3497 मध्ये कुल रकबा 5.176 हे० भूमि जो र जमीदारी विनाश एक्ट धारा 132 में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, को वन विभाग के नाम निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी। परवाना अमलदरामद दर्ज किया							20

पुटगांव

फार्म नं० र – 6 नामान्तरण बही फसली 1430 तहसील धारी, जिला-नैनीताल

क्रम संख्या	खतौनी या खेवट खाता संख्या	आज्ञा की संख्या और उसका दिनांक	हस्तान्तरित अंश या गाटे: अंश यदि कोई हो	हस्तान्तरित अंश या गाटे: खसरा संख्या	हस्तान्तरित अंश या गाटे: क्षेत्रफल	हस्तान्तरित अंश या गाटों की मालगुजारी या उनका लगान	उन व्यक्तियों के नाम और विवरण जो हटा दिये गये	उन व्यक्तियों के नाम और विवरण जिनका इन्द्राज किया गया	हस्तान्तरण या परिवर्तन का प्रकार	प्रतिफल की धनराशि यदि कोई हो	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NZA खा॰ सं॰ 30	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 2857/12-ज्येष्ठ० रु० सा०/2021-22 दिनांक 19 नवम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 2096 XVIII(II) 2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 व शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50(39)-2015 दिनांक 09-07-2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 2015 दि० 30-07-2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2096XVIII(II)2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में तहसील धारी के एन० ज्येष्ठ० रु० ग्राम पुटगाँव पट्टी चुरीगाड के खाता सं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3497 मध्ये सतोली-कफूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 है० भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम के खाता सं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3497 मध्ये कुल भूमि एन० ज्येष्ठ० रु० के खाता सं० 30 के खसरा नं० 1799 जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3)ड० में राज्य सरकार के रकबा 5.976 है० भूमि गैर जमींदारी विनाश के नाम निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क नाम दर्ज है, को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। परवाना अमलदरामद दर्ज किया, (हस्ताक्षर) 21-11-2022 र० का०										